



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट के अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹31,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०-229/2007 धारा-323/34,324/34,504,506 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तेजप्रताप सिंह उर्फ लाल पुत्र हरिशरण सिंह ठाकुर नि० बचरौली थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹31,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ जोगेन्द्रलाल



पैरोकार- थाना कुरारा
का० रजनीश कुमार